

होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

XX. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

XXi. आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

**21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**— आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

**22. शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम :-** प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात :-

### परीक्षा की स्कीम

चरण-I :

प्रश्न पत्र	विषय	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान	3 घंटे	50
	राजस्थान का सामान्य ज्ञान		50
2.	सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी	3 घंटे	100

चरण-II : अभ्यर्थी निम्नलिखित दो प्रश्न-पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे:-

प्रश्न पत्र	विषय	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण (परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलेख गद्यांश का कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण	60 मिनट	
2.	हिन्दी आशुलिपिक परीक्षण (परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुतिलेख का होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलेख गद्यांश का कम्प्यूटर पर हिन्दी में प्रतिलेखन और टंकण	70 मिनट	



स्पष्टीकरण :-

1. प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का है। परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यविवरण और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को उसकी सूचना नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से दी जायेगी जो बोर्ड उचित समझे।
2. प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों, चरण-I और चरण-II में आयोजित की जायेगी। चरण-I के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
3. बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों की दशा में, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसा वांछनीय हो, बोर्ड द्वारा विनिश्चित नियमों के अनुसार चरण-I की परीक्षा में लेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि, बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को चरण-II परीक्षा में आशुलिपिक परीक्षण में लेखक की सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी।
4. आशुलिपि परीक्षण के लिये बोर्ड कम्प्यूटर और आशुलिपि पुस्तिका उपलब्ध करायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को स्वयं का कीबोर्ड लाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि, बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों में के प्रवर्ग 'अंधता और अल्प दृष्टि' को आशुलिपि श्रुतिलेख लेने के लिये स्वयं की स्लेट/मशीन लाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।
5. चरण-II परीक्षा में बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को, कम्प्यूटर पर श्रुतिलिखित गद्यांश के प्रतिलेखन और टंकण के लिये परीक्षा के 15 मिनट का प्रतीकरात्मक समय दिया जाएगा।
6. चरण-II में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से संबंधित उपबंधों और प्रत्येक चरण उत्तीर्ण होने के मानक, इन नियमों के नियम-29 के उप-नियम (1) के अनुसार होंगे। परन्तु यह कि :-
  - (i) परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना के अध्यक्षीन रहते हुए, चरण-I के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में, समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को ही चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में, समस्त ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने किसी निम्नतर रेंज के लिये वही अंक अर्जित किये हैं, जो बोर्ड नियत किये जायें, को चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा।
  - (ii) जहां बोर्ड की यह राय हो कि, चरण-II में उपस्थित होने के लिये साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये बोर्ड द्वारा शिथिलता मानक लागू किया जा सकेगा ताकि चरण-II में उपस्थित होने के लिये उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिये, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना तक की विचार की समय सीमा शिथिलता रहेगी। तथापि, चरण-II के लिये इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी केवल अपने-अपने प्रवर्गों के लिये आरक्षित पदों पर चयन के लिये पात्र होंगे।
  - (iii) बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II के पद के लिये, प्रतियोगिता परीक्षा के चरण-II में वैकल्पिक प्रश्न-पत्र में 20% से अधिक भूल/गलती की हो। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, चरण-II में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती में, 5% तक शिथिलकरण किया जायेगा।
  - (iv) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाये कि, किसी भी प्रवर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड, चरण-II में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती को 5% तक और शिथिल कर सकेगा।
7. परीक्षा के चरण-I और चरण-II में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके अंतिम योग्यता कम को अवधारित करने के लिये गिने जायेंगे।
8. जो अभ्यर्थी हिन्दी में आशुलिपि परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उनसे उनकी नियुक्ति के पश्चात् अंग्रेजी आशुलिपि और विपर्ययेन, सीखने की अपेक्षा की जायेगी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के कौशल परीक्षण के माध्यम पर विचार किये बिना, कार्यालय की कृत्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों को अंग्रेजी/हिन्दी के शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II के रूप में कार्य करना होगा।

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प **A, B, C, D, E**. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।  
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।  
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प **E** को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जायेंगे।  
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।  
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।  
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.



## पाठ्यक्रम (Syllabus)

### PAPER - I

#### (सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान)

#### सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE)

1. राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे : समसामयिक घटनाएँ एवं तथ्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएँ।
2. भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन : भारत की भौतिक दशाएँ, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्यजीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास।
3. तत्व, यौगिक एवं मिश्रण (Elements, compounds and mixtures)
4. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Changes);
5. धातु एवं अधातु (Metals and non-metals)
6. अम्ल, क्षार एवं लवण (Acid, base and salts), ब्लीचिंग पाउडर (Bleaching powder), खाने का सोडा (Baking powder), प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of paris), साबुन एवं अपमार्जक (Soaps and detergents)।
7. प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम (Reflection of light and its laws); लेंस के प्रकार (Types of lenses); मानव आँख (Human eye)।
8. विद्युत धारा (Electric current), ओम का नियम (Ohm's law), विद्युत विभव (Electric potential), विद्युत धारा का तापीय प्रभाव (Heating effect of electric current), विद्युत मोटर (Electric Motor)
9. मानव मस्तिष्क (Human brain), हार्मोन्स (Hormones), मानव रोग कारण एवं निवारण (Human disease - Causes and cures)।
10. जन्तुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals and plants)।
11. बायो मास (Bio-mass), ऊर्जा के विभिन्न स्रोत (Sources of energy), पारिस्थितिक तन्त्र (Ecosystem), मेन्डेल के आनुवंशिता के नियम (Mendel's law of inheritance), गुणसूत्र (Chromosomes)

#### राजस्थान का सामान्य ज्ञान

1. राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन : राजस्थान की भौतिक दशाएँ, प्रमुख भौतिक विभाग, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन—खनिज, वन, जल, पशु, जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण।
2. राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक—आर्थिक विकास : राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक—सामाजिक योजनाएँ एवं कार्यक्रम, प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की जनसंख्या (2011), पंचायती राज एवं उनकी भूमिका।
3. राजस्थान का इतिहास : प्राचीन सभ्यताएँ, मध्यकालीन राजस्थान के उज्ज्वल पक्ष, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 एवं राजस्थान, किसान एवं जनजाति आन्दोलन, प्रजामण्डल आन्दोलन, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका।
4. राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत : राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी—देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति—रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, मन्दिर एवं हवेलियाँ, सन्त एवं सूफी सन्त, राजस्थान की चित्र शैलियाँ, पर्यटन, विरासत संरक्षण के उपाय।

\*\*\*\*\*

#### Pattern of Question Papers:

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Questions: 150
4. Duration of Paper: Three Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be **No Negative Marking**.

**PAPER - II**  
**(GENERAL HINDI & ENGLISH)**

**सामान्य हिन्दी**

- सन्धि और संधि विच्छेद ।
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह ।
- उपसर्ग एवं प्रत्यय ।
- विलोम शब्द एवं अनेकार्थक शब्द ।
- विराम चिन्ह ।
- ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण ।
- पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द) ।
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण) ।
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण) ।
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ।
- पत्र एवं उसके प्रकार – कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में ।

**GENERAL ENGLISH:**

- Use of Articles and Determiners.
- Tenses/Sequence of Tenses.
- Voice : Active and Passive.
- Narration : Direct and Indirect.
- Use of Prepositions.
- Translations of Ordinary/Common English Sentences into Hindi and vice-versa.
- Synonyms and Antonyms.
- Comprehension of a given passage.
- Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
- Letter writing : Official, Demi Official, Circulars and Notices.

Note : Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.

\*\*\*\*\*

**Pattern of Question Paper:**

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Question: 150 (75 Question General Hindi & 75 Question General English)
4. Duration of Paper: Three Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be **No Negative Marking**.

**23. बोर्ड की वेबसाइट:-** अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(मेजर जनरल आलोक राज)  
अध्यक्ष